

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से काशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 416] नई दिल्ली, बुध्स्पतिवार, अक्टूबर 27 1983/कृत्तिक 5, 1905
No 416] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 27 1983/KARTIKA 5, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ दृष्ट्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

त्रिज्ज मन्त्रालय

(राजस्त्र विभाग)

अभिसूचना

नई दिल्ली 27 अक्टूबर, 1983

सं 290/83-सीमा-शल्क

सा का नि 802(अ) —कन्दार सरकार, सीमा-शल्क अधिनियम, 1962
(1932 का 52) की धारा 26 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते
हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि नोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत

सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं 230-सीमा-शुल्क तारीख 19 अक्टूबर, 1982 में निम्नलिखित संशोधन करनी है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में, “31 अक्टूबर, 1983” अंक और शब्द के स्थान पर “31 अक्टूबर, 1984” अंक और शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 355/210/83-सीमा-शुल्क 1]

एन. ससीधरन, उवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 1983

NO. 290/83-CUSTOMS

G.S.R. 802(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 230/82-Customs, dated the 19th October, 1982, namely :—

2. In paragraph 2 of the said notification, for the figures, letters and word “31st October, 1983”, the figures, letters and word “31st day of October, 1984” shall be substituted.

[F. No. 355/210/83-Cus. I]

N. SASIDHARAN, Under Secy.